राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1758/2025

कल्पना स्वामी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अति0 निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राज. जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं।
4. प्रभारी, राजकीय जिला अस्पताल, नवलगढ, झुन्झुनूं।
5. सुनीता कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय महिला चिकित्सालय (जेलन मेडिकल कॉलेज) अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के.निगम, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय जिला अस्पताल नवलगढ, झन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय महिला चिकित्सालय (जेलन मेडिकल कॉलेज) अजमेर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान पर किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं बिना जनहित के केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समंजित करने की दृष्टि से जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अपीलार्थी के पति गुजरात में प्राईवेट नौकरी करते है और अपीलार्थी के पिता की दिनांक 23.09.2024 को मृत्यु हो गयी है। अपीलार्थी की माताजी मानसिक रोग से पीडित है जिसका निरन्तर इलाज चल रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपीलार्थी का वर्तमान स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र व माताजी की बीमारी के दस्तावेज अनुलग्नक–2 एवं 3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी के जुडवा दो बच्चे है

जिनकी उम्र 10 वर्ष व 12 वर्ष है जो अध्ययनरत है मध्य सत्र में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पडेगा। बच्चों की पढाई के संबंध में दस्तावेज अनुलग्नक–4 पर संलग्न है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय जिला अस्पताल नवलगढ़, झुन्झुनूं में कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य